



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476

&2282

4354



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ.शि.म. मार्ग/C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.No.7/14/2022/IR&W/10603

अगस्त August 12, 2022.

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय सीएचएसएस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किए जाने
Subject: के संबंध में
Implementation of PAN - INDIA CHSS Scheme -
regarding.

विभाग को सीएचएसएस लाभार्थियों को उनके बेस स्टेशन के अलावा किसी भी सीएचएसएस स्टेशन पर चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

The Department has been receiving representations to enable CHSS beneficiaries to avail medical benefits at any of the CHSS stations, apart from their base station.

2. विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए और विशेषज्ञ समिति और सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, पऊवि के सक्षम प्राधिकारी, मौजूदा प्रावधानों को उदार बनाने और सभी सीएचएसएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए अखिल-भारतीय (PAN-INDIA) योजना शुरू करने की सहर्ष घोषणा करते हैं। इस उदारीकृत योजना का उद्देश्य, सभी सीएचएसएस स्टेशनों को समेकित रूप से एकीकृत करना और लाभार्थियों को किसी भी सीएचएसएस स्टेशन पर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना है। योजना के औपचारिक शुरुआत की तारीख 30.10.2022 निर्धारित की गई है। नियम में संशोधन के साथ, योजना का विवरण, परिचालन तौर-तरीकों के साथ, यथा समय अधिसूचित किया जाएगा।

In consideration of the requests and based on the recommendations of a specialist committee and the CHSS review committee, the Competent Authority in DAE is pleased to liberalise the existing provisions and announce introduction of PAN-INDIA scheme to all CHSS beneficiaries. The liberalized Scheme aims to seamlessly integrate all CHSS stations and facilitate beneficiaries to avail medical facilities at any of the CHSS station. The formal launch date is scheduled as 30.10.2022. Details of the scheme, with operational modalities shall be notified in due course, with amendments to the rule.

3. सीएचएसएस सुविधा प्रदान करने वाले सभी प्राधिकरण 30.10.2022 को इस योजना को 6 महीने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए तैयार हो सकते हैं, इसके बाद सभी लाभार्थियों के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के माध्यम से अस्पताल सूचना प्रणाली (एचआईएस) को सुचारु रूप से एकीकृत किया जाएगा।

All CHSS Administering Authorities may gear up to effectively launch the Scheme on 30.10.2022 initially on a physical mode for 6 months followed by seamless integration of the Hospital Information System(HIS) through a centralised database of all beneficiaries.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई. रवीन्द्रन / E. Ravendiran)

निदेशक (औ.सं.एवं क.) / Director(IR&W)

सेवा में To

- 1) सीएचएसएस के सभी प्रशासन प्राधिकरण
All CHSS Administering Authorities